दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273009

Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009

(Accredited A++ by NAAC)

पत्रांक : सम्बद्धता / 2024 / 04 / **4935**

दिनांक : 03 / 04 / 2024.

आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

विषय– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु संशोधित समय–सारिणी के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 646 / सत्तर–2–2024–16(11) / 2017टी0सी0 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है–

क्र0	कार्यवाही	संशोधित समय-सीमा (646/सत्तर-01.04.2024)
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	---
2	विश्वविद्यालय से आनलाईन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	**दिनांक 07 अप्रैल, 2024 तक।**
3	अनापत्ति आदेश आनलाईन निर्गत किया जाना।	**दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक।**
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध मे विश्वविद्यालय द्वार लिए निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	**दिनांक 20 अप्रैल, 2024 तक।**
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	**दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक।**
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	**दिनांक 15 मई, 2024 तक।**
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 05 जून, 2024 तक।**
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 20 जून, 2024 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 30 जून, 2024 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक।**

अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण हेतु निर्धारित संशोधित समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(प्रो0 शान्तनु रस्तोगी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर को इस आशय से सूचित कि शासन द्वारा निर्धारित संशोधित समय–सारिणी के अनुसार अनापत्ति प्रस्तावों का निस्तारण आनलाइन कराने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, नर्वदेश्वर शिक्षा समिति, ई–135, कुर्मांचल नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय (एल एन लॉ कालेज, गोविन्दपुर धतुरा सिलहट, बैतालपुर, देवरिया)
6. प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. वैय0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

संख्या– 646/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2024

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यकमों (बी0एड0 पाठ्यकम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3050/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023, शासनादेश संख्या–196/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024 एवं शासनादेश संख्या–407/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 23.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023, दिनांक 31.01.2024 एवं दिनांक 23.02.2024 के माध्यम से निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	**विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना**	**दिनांक 07 अप्रैल, 2024 तक।**
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक।**
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 20 अप्रैल, 2024 तक।**
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक।**
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 15 मई, 2024 तक।**
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 05 जून, 2024 तक।**

24 Draft AB 78

8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 20 जून, 2024 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 30 जून, 2024 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक।**

3– जिलाधिकारी लॉगिन पर लम्बित रहने के कारण अस्वीकृत किये गये प्रस्तावों पर पुनर्विचार कराये जाने का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का होगा। शासनादेश दिनांक 15.09.2023, दिनांक 31.01.2024 एवं दिनांक 23.02.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 646 /सत्तर–2–2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया लम्बित प्रकरणों में राजस्व विभाग की रिपोर्ट ऑनलाइन एन0ओ0सी0 पोर्टल पर प्रेषित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

24 Draft A8 79